



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ। Chaudhary Charan Singh University, Meerut

तत्काल/अति आवश्यक

पत्रांक : पी0ए0/6069

दिनांक : 23.11.2022

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/सचिव
समस्त सम्बद्ध अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय/संस्थान
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-2023 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अवशेष महाविद्यालय/संस्थान जिनका मास्टर डाटा लॉक नहीं हुआ है, की सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।


महोदय/महोदया,

कृपया उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या-120/2022/2595/26-03-2022-4(358)/07 टी0सी0 111 दिनांक 21 नवम्बर, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने करे। जिसमे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों के द्वारा scholarship portal पर पाठ्यक्रम लॉक करने की विस्तारित तिथि 30 नवम्बर, 2022 निर्धारित की गयी हैं। जिसमे विश्वविद्यालय के पत्रांक पी0ए0/5816 दिनांक 31.08.2022 के द्वारा आपके महाविद्यालयों/संस्थानों को विश्वविद्यालय को सूचना प्रेषित करने हेतु आदेशित किया गया था। परन्तु अधिकांश महाविद्यालयों/संस्थानों के द्वारा विश्वविद्यालय को सूचना प्रेषित नहीं किया गया था। जिस कारण महाविद्यालयों/संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों को लॉक नहीं किया गया था।

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या : पी0ए0/5816 दिनांक : 31.08.2022 के द्वारा मांगी कयी सूचनाओं को दिनांक 26.11.2022 तक श्री एस0पी0 सिंह, एस0सी0आर0आई0ई0टी0, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ के पास जमा करा दें ताकि समय से आपके महाविद्यालय के मास्टर डाटा को सत्यापित किया जा सकें। अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय/संस्थान स्वयं जिम्मेदार होगा।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)
3. प्रभारी विश्वविद्यालय वेबसाइट।

कुलसचिव



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी०ए०/५८१/६
दिनांक : 31.08.2022

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/सचिव
समस्त सम्बद्ध अनुदानित एवं स्व-वित्तपोषित महाविद्यालय/संस्थान
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।


विशय:-वित्तीय वर्ष/शैक्षणिक सत्र 2022-2023 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदित किये गये छात्र/छात्राओं की सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

- कृपया उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या-47/2022/902/26-03-2022-4 (358)/07 टी०सी० 111 दिनांक दो मई का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय के द्वारा scholarship portal पर अपलोड की गई निम्न सूचनाएं उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जो निम्न है-
- 1 विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्व-वित्त पोषित महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों का नॉन रिफ्रन्डेबल राशि एवं ट्यूशन फीस को प्रमाणित करते हुए प्रेषित करने का कष्ट करें।
 - 2 महाविद्यालयों के प्रोफाइल की फोटों कॉपी, जो छात्रवृत्ति के पोर्टल पर भरा गया है, जिसमें प्राचार्य/प्राचार्या एवं नोडल अधिकारी का नाम अंकित हैं, के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्राचार्य/प्राचार्या की छायाप्रति (राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों को छोड़कर)।
 - 3 NAAC एवं AISHE का प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
 - 4 विषयवार पाठ्यक्रम एवं शुल्क की सूचनाएं जो महाविद्यालय के लॉगिन पर डिजिटली अंकित हैं के सापेक्ष में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षकों का विवरण जो विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड किया गया है की छायाप्रति एवं शिक्षकों का अनुमोदन पत्र तथा पाठ्यक्रमों का अनुमोदन पत्र भी प्रेषित करें।

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपयुक्त सूचनाएं सत्यापित कर प्रत्येक दशा में दिनांक 03.09.2022 तक अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. सचिव कुलपति को मा० कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)
3. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट।

कुलसचिव

I/237779/2022

संख्या- 120/2022/2595 /26-3-2022-4(358)/07 टी.सी. III

प्रेषक,

डॉ० रमेश चन्द्र तिवारी,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- निदेशक, समाज कल्याण, उ० प्र० लखनऊ।
- 2- निदेशक, जनजाति विकास, उ० प्र० लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 21 नवम्बर 2022

विषय: वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु प्रदेश के अन्दर तथा बाह्य प्रदेश में अध्ययनरत उ० प्र० के मूल निवासी छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं सहित) से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने हेतु विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी एवं अन्य को सत्यापन करने हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-3168/स० क० 0/शिक्षा-अ/7/76/2022-23, दिनांक-07-11-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु प्रदेश के अन्दर तथा बाह्य प्रदेश में अध्ययनरत उ० प्र० के मूल निवासी छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं सहित) से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने हेतु विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी एवं अन्य को सत्यापन करने हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में शासनादेश संख्या-47/2022/902/26-3-2022-4 (358)/07 टी० सी०-III दिनांक 02-05-2022, शासनादेश संख्या-98/2022/1970/26-3-2022-4(358)/07 टी० सी० III दिनांक 29 अगस्त, 2022 एवं शासनादेश संख्या-110/2022/2283/26-3-2022-4 (358)/07 टी० सी० III दिनांक 03 अक्टूबर, 2022 द्वारा निर्गत समय-सारिणी में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र.सं.	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु द्वितीय संशोधन के अनुसार समय-सीमा (2022-23)	कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं में संशोधन का तृतीय संशोधित समयवधि (2022-23)
1	2	3	4
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में	03 अक्टूबर, 2022	यथावत।

	सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग/ विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें)। मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेंसी/ विश्वविद्यालय के नाम एवं आइस कोड (AISHE CODE) आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	से 10 अक्टूबर, 2022 तक।	
1 ए	प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (Govt) व शासकीय सहायता (Govt Aided) प्राप्त संस्थायें योजनाधिकारी (बाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन एवं हार्डकापी स्पीड पोस्ट (निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, 3-प्राग नारायण रोड, कल्याण भवन, लखनऊ-226001) से भेजकर पासवर्ड प्राप्त करना।	03 अक्टूबर, 2022 से 10 अक्टूबर, 2022 तक।	यथावत्।
1 बी	योजनाधिकारी (बाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करके (नवीन संस्थायें) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेंसी/विश्वविद्यालय के नाम आइस कोड (AISHE CODE) आदि सूचनाओं को अंकित करना।	03 अक्टूबर, 2022 से 14 अक्टूबर, 2022 तक।	यथावत्।
2	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी (केवल नियमावली में उल्लिखित संस्थानों हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाईन सत्यापित करना।	14 सितम्बर 2022 से 17 अक्टूबर 2022 तक।	21 नवम्बर 2022 तक।
2 ए	योजनाधिकारी, बाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर आनलाईन लाक किया जाना।	17 सितम्बर 2022 से 17 अक्टूबर 2022 तक।	30 नवम्बर 2022 तक।
3	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं	18 अक्टूबर 2022 से 22 नवम्बर 2022 तक।	18 अक्टूबर 2022 से 30 नवम्बर 2022 तक।

1/237779/2022


	अंकित फीस आदि की प्रमाणिकता को संबंधित शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा ऑनलाईन सत्यापित करना।	तक।	2022 तक।
3 ए	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस का आनलाईन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त कर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण (विश्वविद्यालय /अफिलियेटिंग एजेंसी) द्वारा लॉक की गयीं सीट संख्या एवं फीस से अधिक लॉक न की जाय) ऑनलाईन लॉक किया जाना।	18 अक्टूबर 2022 से 22 नवम्बर 2022 तक।	18 अक्टूबर 2022 से 30 नवम्बर 2022 तक।

अ- विश्वविद्यालय एवं एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा समानान्तर रूप से संबंधित शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी के साथ-साथ मास्टर डाटा सत्यापित करने की कार्यवाही की जाएगी। जिन विश्वविद्यालय एवं एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा उक्त अवधि में शिक्षण संस्थानों का मास्टर डाटा सत्यापित किया जायेगा, उसे विश्वविद्यालय एवं एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त निर्धारित समयावधि में ही संबंधित शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यापित कर सकेंगे।

ब- दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज में आ रही मास्टर डाटा संबंधी समस्याओं के निदान हेतु विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से सम्बद्ध शिक्षण संस्थानों के मास्टर डाटा को लॉक करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

नोट:- शासनादेश संख्या-47/2022/902/26-3-2022-4(358)/07 टी0 सी0 III दिनांक 02 मई, 2022 को जारी समय-सारिणी में दी गयी अन्य समयावधि एवं शर्तें यथावत रहेगी।

3- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी का अप्रैले स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावतियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2022-23 में दशमोत्तर योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

 (डॉ० रमेश चन्द्र तिवारी)
 अनु-सचिव।

पु० सं०-120/2022/ 2595 (1)/26-3-2022 तद्विनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ० प्र०, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/ मा० शिक्षा/उच्च शिक्षा/ तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ० प्र० शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ० प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ 0 प्र 0, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ 0 प्र 0 लखनऊ।
- 6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ 0 प्र 0 लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- निदेशक, एन 0 आई 0 सी 0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ 0 प्र 0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ 0 रमेश चन्द्र तिवारी)

अनु सचिवा